125

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 5258–दो/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–12–2015 – पारित द्वारा – तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर जिला सतना – प्रकरण क्रमांक 36 अ–12/2015–16

अनिलकुमार तिवारी पुत्र रामनिवास तिवारी
सा0 नागौर तहसील विरसिंहपुर
जिला सतना मध्य प्रदेश । ———आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जसराम विश्वकर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 18-07-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 36 अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक एंव उसके परिजन ने मौजा पडरिहान की भूमि सर्वे नंबर 10/1/क रकबा 0.025 डि. के सीमांकन की मांग की, जिस पर से तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर जिला सतना ने प्रकरण क्रमांक 36 अ–12/2015–16 पॅजीबद्ध किया तथा क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराने का निर्णय लिया। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 16–12–2015 को स्थल पर जाकर ग्रामीण पंचों के समक्ष सीमांकन कार्य किया तथा तहसीलदार विरसिंहपुर को सीमांकन

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार विरसिंहपुर ने आदेश दिनांक 20-12-15 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार विरसिंहपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि साकिन नागौर के मौजा पडरिहान की भूमि सर्वे नंबर 10/1/क के सीमांकन आवेदन पर राजस्व निरीक्षक विरसिंहपुर को सीमांकन के आदेश हुये थे जब राजस्व निरीक्षक से सीमांकन के सम्बन्ध में संपर्क किया तब उन्होंने सही सीमांकन करने के लिये घूस मांगी, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई। किन्तु घूस न देने पर गलत नाप व गलत सीमांकन किया गया है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार विरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 36 अ-12/2015-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को के दौरान बताया गया शिकायती आवेदन अथवा तहसीलदार के आदेश में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है जिससे आवेदक के अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्को पर विश्वास किया जा सके। इसके विपरीत मौके पर जाकर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 16-12-15 को सीमांकन कार्य किया है। सीमांकन उपरांत तैयार किये गये पंचनामे पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर है एंव पंचनामे की भाषा इस प्रकार है -

'' आज दिनांक 16-12-2015 को ग्राम पडरिहान की आ.नं. 10/1/क रकबा 0.102 है. का सीमांकन पूर्व सूचना के अनुसार मौके पर उपस्थित पंचानों एंव आवेदक, सरहदी कृषकों की उपस्थिति में किया गया जिसकी तस्दीक हम उपस्थित पंचानों द्वारा की गई।''

राजस्व निरीक्षक विरसिंहपुर द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित अनुसार स्थित इस प्रकार है :-

'' मुताविक सूचना नियत दिनांक को आवेदक व सरहदी कृषकों की मौजूदगी में सीमांकन कार्य किया गया। सीमांकन के पूर्व आवेदित आराजी की चौहदी सीमा बंदोवस्त मेढ़ों का मिलान किया गया। सीमा मिलान सही पाये जाने पर सीमांकन कार्य किया गया। ''

राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन पर से तहसीलदार, तहसील विरसिंहपुर द्धारा पारित आदेश दिनांक 20-12-2015 के अनुसार सीमांकन की स्थिति इस प्रकार है :-

'' आवेदक के रकबे से विरसिंहपुर - सतना सइक निकलती तथा शेष अंश रकबा 0.05 ए. विक्रय पत्र में दर्शित चौहद्दी मुताविक उत्तर दिशा में चिन्हित की गई सीमांकन कार्यवाही पूर्ण कर चौहद्दी पत्थर गइवाये गये तथा उपस्थित लोगों को सीमा बताई गई। अतः सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्स पी-1 , स्थल पंचनामा पी-2 सूचना पत्र प्रदर्स पी-3 अनुमोदित। ''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि का सीमांकन संहिता की धारा 129 में विहित प्रावधानों का पालन करते हुये किया गया है यदि आवेदक किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.एम. से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर जिला सतना द्वारा प्रकरण पारित आदेश दिनांक 20-12-2015 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार तहसील विरसिंहपुर जिला सतना द्वारा प्रकरण कमांक 36 अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2015 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर